

भैराराम

बनाम

जालुराम आदि

प्रा.प. अन्तर्गत आदेश 9 नियम 9 सीपीसी

प्रकरण संख्या 36 वर्ष 2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
24.03.2025	<p>वकुलाए फरिकैन उपस्थित। अप्रार्थी ने जबाब प्रार्थना पत्र पेश किया। वकुलाए फरिकैन की बहस सुनी गई। मूल वादपत्र सं. 432/2018 का अवलोकन किया गया। जिसमें निर्णय दिनांक 18.01.2023 को वादपत्र अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज किया गया था जिसके खिलाफ प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 9 सी.पी.सी. प्रकरण को रेस्टोर किये जाने हेतु पेश किया गया। न्यायहित में मूल वादपत्र का निर्णय पक्षकारान को सुनकर गुणावगुण के आधार पर किया जाना उचित मानते हुए प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 9 सी.पी.सी. को स्वीकार किया जाता है। प्रार्थना पत्र फैसल शुमार होकर मूल वादपत्र के साथ शामिल रहे। वादपत्र संख्या 432/2018 को पुनः खोले जाने आदेश दिये जाते है। वादपत्र पुनः दर्ज रजिस्टर कर वास्ते सुनवाई में रखा जाकर तारीख पेशी में लिया जावे।</p> <p style="text-align: center;">ॐ</p> <p style="text-align: center;">सहायक क्लर्क एच उपरखण्ड अधिकारी एचतसरा</p>	

